तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/7/19	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रस्तुत किया है। उपरोक्त धारा व अधिनियम में किसी आराजी का मुआवजा निर्धारण किया जाता है तथा उससे प्रार्थी असन्तुष्ट होने पर न्यायालय में मध्यस्थ के समक्ष अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का मुआवजा तय किए जाने के विरूद्ध न होकर, रोड के सहारे जो सरकारी भूमि में पाईप लाईन डाली गई है, उसे निकालने (हटाने) की स्थिति में उसका मुआवजा निर्धारण करवाना चाहा है। जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। वकील प्रार्थी को प्रश्नगत आदेश की प्रति पेश करने हेतु निर्देश दिए जाने के उपरान्त भी कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया, जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी नियमानुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर, पाली जिला कलक्टर, पाली	